MOST IMMEDIATE

SS-15/4/2021-Scholarship-MoMA
Government of India
Ministry of Minority Affairs

11th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003

Dated 25th August, 2021

To

The Chief Secretary/Administrator
All State Governments/UT Administrations
(Implementing Pre-Matric, Post-Matric and
Merit-cum-Means based Scholarship Schemes for Minorities)

Subject: State/UT/Community-wise Physical Allocation of Scholarships and Timeline Activities under the three Scholarship Schemes for minority communities for the year 2021-22- regarding.

Madam / Sir,

The Ministry of Minority Affairs implements three Scholarship Schemes viz. Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship Schemes for the Minorities as Central Sector Schemes through National Scholarhip Portal (NSP) of the Government of India and the students can apply under these schemes through URL www.scholarships.gov.in, or through the link available on www.minorityaffairs.gov.in or through Mobile App- National Scholarships (NSP). Scholarships are awarded under these Schemes to the economically weaker and meritorious students from the six centrally notified minority communities viz. Buddhist, Christian, Jain Muslim, Sikh and Zoroastrian (Parsis) pursuing studies in India in a Government or recognized private university/institute/ college/school.

2. The Central Government has decided to open the National Scholarship Portal (NSP) on 18th August, 2021 for the three Scholarship Schemes for 2021-22 and detailed is as under:-

а	Opening of NSP Portal for Submission of Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship application.*	18.08.2021
b	Last date of applying for Pre-Matric Scholarship application.	15.11.2021
С	Last date of applying for Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship application.	30.11.2021
d	Last date for First Level Verification	15.12.2021
е	Last date for Second Level Verification	31.12.2021

*Only Online applications under the Schemes will be accepted and no request for Offline applications will be entertained.

Received in whats app group (schloraship) for circulation among soundants.

Swatantra Singh Verma
Assi. Prof. (Elec. Engg.)
1/c . Scholanchip,



Principal vec No 420 Date, 04/09/2024



भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

छात्रवृत्ति की घोषणा : 2021-22

(मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2021—22 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात मैट्रिक—पूर्व, मैट्रिकोततर और मेरिट—सह—साधन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायो (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है । "छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, राज्य सरकार उपर्युक्त योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है ।"

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति 15.11.2021 आवेदक) तथा नवीनीकरण छात्रवत्ति (यह आवेदक जिसने 2020-21 के समय-दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु i मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं सीमा 30.11.2021 ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की ii मेरिट-सह साधन आधारित छात्रवृत्ति अंतिम तारीख आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) का पात्रता वह भारत में सरकार या निजी विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो । अध्ययन किया जा रहा पाठ्यकम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो । आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड / कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हो । आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइटwww.scholarships.gov.in (इस साइट का लिंक www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप-National Scholarship (NSP) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में सं किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। निर्दे श ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश और 'बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है । आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दे जो सिक्य मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो । विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों के लिए

सभी विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों, जहाँ कोई अत्यसंख्यक छात्र पढ रहा
है, को 18 अगस्त, 2021 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए
(यदि उन्होनें ऐसा पहले नहीं किया है)

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाएं । समाधान हेल्पलाइन (टोल फी) : 1800-11-2001 (समय सुबह 9.00 बजे से साय 5.30 बजे तक, सोमवार से सुकवार, घुटटी का दिन छोड़कर)